(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 173/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/51

बउनवान

मुरारीलाल आयु 52 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति किराड निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

1. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
2. प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
3. रामनाथ पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
4. रामबाबू पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
5. गायत्री पुत्री मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
6. हरिशंकर पुत्र रमेशचंद जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
7. सीमा पुत्री रमेशचंद जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
8. मंजू पुत्री रमेशचंद जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
9. बादामबाई बेवा रमेशचंद जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
10 हंसराज पुत्र रामगोपाल मॉ धन्नीबाई जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ
11. गुड्डीबाई पुत्र रामगोपाल जाति सहरिया निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नं. 1681 दिनांक 16.12.2021 वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णगोपाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (रेस्पो. क्र.1 ता 4)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. कम. 5 ता 11)

निर्णय दिनांक 27.06.2022

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल संख्या 1681 दिनांक 16.12.2021 ग्राम कडैयावन तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:01 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दि[illegible]3.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन [illegible] में रेस्पो. कम 1 ता 4 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक [illegible] रेस्पो. कम 5 ता 11 [illegible]जूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थि[illegible] अपीलांट के अभि[illegible]ारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 717/8 वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा की आराजी अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के पिता व पितामह मांग्या उर्फ मांगीलाल से यह जमीन दिनांक 04.06.1973

को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, तब से अपीलांट का आज तक बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस जमीन पर मेरे द्वारा खरीदने के बाद से कभी किसी अन्य का कब्जा नहीं रहा है। इस जमीन को हथियाने के लिए मांगीलाल ने एक प्रकरण फोजदारी मुरारीलाल व अन्य परिवारगणों पर धारा 3 का दर्ज करवाया था जिसका निर्णय दिनांक 15.01.1996 को हो चुका है और इस विवादित जमीन पर मुरारीलाल का कब्जा मानते हुए बरी कर दिया है। इस जमीन का इंतकाल नही खोलने का नोटिस भी अपीलांट के वकील द्वारा दिलाया गया है। उसके पश्चात भी इंतकाल खोल दिया है। यह कि मांगीलाल उर्फ मांग्या का स्वर्गवास सन् 2020 मे ही हो चुका है। उसके बाद रेस्पोडेन्टगण के नाम इंतकाल खोलने मे कानूनी भूल की है। इस जमीन का एक डिक्लेशन वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहां जेरकार है। इस जमीन पर कब्जा लेने के लिए मांग्या उर्फ मांगीलाल ने एक वाद 183 आर.टी.एक्ट का पेश किया था, जो खारिज हो चुका है। अब यह किसी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे है। यह इंतकाल दिनांक 08.02.2022 को खोला गया है इसके एक दिन पहले रेस्पो0 ने जमीन पर कब्जा करने की धोंस देने और कहने से मालूम पडा कि इस जमीन का इंतकाल रेस्पो0 के नाम खुल गया है, दूसरे दिन हीं नकल की दरख्वास्त पटवारी को लगाई और उनसे नकल मिलने पर पता चला कि इस जमीन का इंतकाल खुल चुका है। अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल नम्बर 1681 दिनांक 16.12.2021 खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील छबडा द्वारा खोला गया इंतकाल नम्बर 1681 दिनांक 16.12.2021 वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा मांगीलाल की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पारिवारिक सजरे के अनुरूप सही खोला गया है जिसमे किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। रेस्पोडेन्टगण गरीब सहरिया जाति के व्यक्ति है जिन्हे परेशान किये जाने की नियत से अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा खोला गया इंतकाल नम्बर 1681 दिनांक 16.12.2021 वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा मांगीलाल की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पारिवारिक सजरे के अनुरूप ही खोला गया है जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2022** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:01 IST
Reason: SelfAttested